

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 104 /2021

उनवान

- 1- अब्दुल कयूम पुत्र कालू शाह निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- अब्दुल हकीम पुत्र कालू शाह निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मोहम्मद हनीफ पिता कालू शाह निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- शराफत अली पुत्र कालू शाह निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- शरीफ मोहम्मद पुत्र कालू शाह निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- खुशींद पिता पीरू हमाल निवासी हमालों का मोहल्ला शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2-3 सुखदेव, शांति लाल पिता धन्ना माली निवासी रेगर बस्ती कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- रफीक मोहम्मद पिता कादर देशवाली निवासी वार्ड नं0 3 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री संजय सिंह हाडा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 20/7/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1740 रकबा 0.30 है0, 2055 रकबा 0.40 है0, 2059 रकबा 0.52 है0, 2060 रकबा 0.26 है0, 2064 रकबा 0.32 है0, 2065 रकबा 0.04 है0, 9755/2054 रकबा 0.12 है0 कुल कित्ता 7 रकबा 1.96 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 7 रकबा 1.96 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/7/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.